दिनांक	आज्ञा पत्र	
25.3.18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं0-5 से 13 एक ही वंश राज के सदस्य है । कस्बा लक्ष्मणगढ में आराजी ख0नं0 490 रकबा 4 बीघा 14 बिस्व (1.19 हैक्टर) प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 5 से 13 की पैत्रिक व वंशानुगत कब्जा काश्त की भूमि है । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0-5 से 13 के पूर्वज सूरजा व सागर नाऔलाद फौत हो गये जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावित हुआ उससे पूर्व ही पैत हो गये थे ।जमाबन्दी सं0- 2013 से 2064 तक में निरन्तर प्रार्थीगण के पूर्वज सागर व सुरजा पुत्र लाला खटीक का नाम दर्ज है । जिससे साबित है कि विवादित आराजी का कब्जा काश्त एवं खातेदारी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0-5 से 13 का है । लाला के चार पुत्र सुरजा, सागर लादू, एवं बिडदा हुये। परिवार के बडे पुत्र होने से परिवार के कर्त्ता खानदार सुरजा व सागर हुये जिससे उक्त आराजी इन दोनों के नाम ही दर्ज चली आ रही है । लादू व बिडदा अशिक्षित भोले व्यक्ति थे जिनको राजस्व रेकार्ड का कोई ज्ञान नहीं था। लादू व बिडदा के फौत होने पर उनके वारिस इस आराजी को काश्त करते रहे । कुछ वर्षों बाद भूरा व गणपत पुत्र लादू पुत्र लाला का देहान्त होने पर लादू के 1/2 हिस्से की जमीन संभाग रूप से प्रार्थी सं0-2 व अप्रार्थी सं0-5 से7 एवं 11 से 13 बने और इसी प्रकार धन्ना व रूकमणी स्व0 बिडदा के जायज वारिसों0 का भी देहान्त हो गया। जिनकी जगह बिडदा के विवादित जमीन के 1/2 हिस्से के खातेदार व काबिज काश्तकार उनके	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी सीकर राजस्व अपील प्राधिकारी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *

करते रहे इसी दौरान धन्ना के पुत्र नौरंग का अचानक देहान्त हो गया और नौरंग के स्थान पर उसके जायज वारिसान अप्रार्थी सं0- 9 व 10 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए ।जिसकी खातेदारी उद्घोषित करने का दावा पेश कर दिया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0-5 से 13 विवादित आराजी के काबिज खातेदार काश्तकार हुये।दीगर व्यक्ति का इस आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं ।किन्तु अप्रार्थी संख्या-1 ने अपने पिता का नाम सुरजा होने का अपराधिक फायदा के हिसाब से अपने दादा का नाम मन्साराम के स्थान पर लाला होना गलत रूप से प्रचारित करना शुरू कर दिया । तथा सुरजा व मन्साराम की मृत्यु की तिथिया गलत बता कर इन दोनो का अपने आप को वारिस बताकर अपनी दो सगी बहिन गिन्नीदेवी व नानीदेवी पुत्रीया सुरजा पौ पौत्री मन्सा एवं अपने बडे सगे भाई सीताराम की पुत्री जो मन्नसा की पोत्री है से अपने नाम विवादित भूमि बाबत दिनांक 24-12-2009 को फर्जी व साजशी हक परित्याग पत्र तैयार करवाकर उक्त आराजी को अपने नाम करवा लिया जबकि इन्होने इस आराजी को कभी भी काश्त नहीं किया न ही किसी प्रकार का इस आराजी से कोई लेना देना है । किन्तु गलत खातेदारी की आड में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0-5 से 13 को इस आराजी से बेदखल कर आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। जिनको पाबन्द कराने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अदालत मातहत ने विधि विरूद्ध स्वीकार न कर अप्रार्थी सं0-1 से 4 को स्वतन्त्र कर दिया जो कानूनन गलत है ।अतः जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है ।अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता को कभी भी सहमति दिये जाने हेतु नियुक्त नहीं किया और न ही अपीलान्ट के अधिवक्ता ने कभी सहमति दी है

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	दर्ज कर आदेश पारित किया है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सुने विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है ।अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।	
	अपील दर्ज रजिस्टर की गई ।रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभावकगण सुनी गई ।	
	बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल खसरा गिरदावरी सं0-***× राज सवाई जयपुर बाबत सन् 1953 में ख0नं0 490 की खातेदारी रंगलाल बैजनाथ, गंगाधर, सीताराम पि0बदरी दास हि0बराबर 1/2 रामबक्स वल्द गोरीशंकर हि0 1/2 के नाम दर्ज है तथा काश्तकार के कालम में सुरजा वल्द लाला खटीक का नाम दर्ज है ।जमाबन्दी सं0-2015 से 2018 में ख0नं0 490 की खातेदारी सागर, सुरजा पि0 लाला के नाम दर्ज है ।जो जमाबन्दी सं0 2063 ब तक दर्ज है । नामान्तरकरण सं0-3275 में सुरजा के देहान्त पर उसका विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्ट मोहन के नाम दर्ज हुआ जिसमें सुरजा की पुत्रियों एवं पौत्री ने मोहन के पक्ष में हक त्याग किया है जिसके बाद में मोहन के नाम से नामान्तरकरण दर्ज कर जमाबन्दी में दर्ज किया गया है। पत्रावली का अवलोकन करने पर आया नामान्तरकरण सं0-3275 के आधार पर अपीलान्ट विवादित आराजी का विरासतन खातेदार दर्ज हुआ है ।पक्षकारों के मध्य घोषणा का दावा विचाराधीन है ।कानूनन दावा विचाराधीन रहते विवादित आराजी की यथास्थिति रखी जाती है तो उससे पक्षकारों के मध्य और अधिक विवाद बढने की सम्भावनायेंं कम रहती है ।किन्तु अदालत मातहत ने	

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	जाना उचित है । अतः अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अदालत मातहत उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 16-7-2013 में अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया है वहां उभयपक्षो को पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी की रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें । निर्णय सुनाया गया । 5/3/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर (राजस्थान)